राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.5(294)निपेवि/नियम/2017/ 1610-50 H दिनांकः– 13-06-2019

कोषाधिकारी (समस्त)

....(राज)।

विषयः– पेंशन संशोधन आदेश/विभिन्न कोषाधिकारियों के आदेशों में विसंगति/कम्यूटेशन राशि की कटौती की दिनांक का स्पष्टीकरण बाबत।

संदर्भः– सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सीपीपीसी जयपुर का पत्र क्रमांक 189 दिनांक 14.05.19

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस विभाग को लिखा गया है कि पेंशन नियमानुसार कम्यूटेंशन राशि की पेंशन से कटौती कम्यूटेशन के भुगतान के पश्चात आरम्भ की जानी चाहिये। इस संबंध में पेंशन संशोधन आदेशो में विभिन्न कोषाधिकारियों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकिया अपनाई जा रही है। पेंशन संशोधन आदेश में पेंशन कम्यूटेशन राशि की कटौती की दिनांक स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है। स्पष्ट रूप से दिनांक नहीं दर्शाने से सशंय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गलती की संभावना रहती है। इस संबंध में समस्त कोषाधिकारियों को कम्यूटेंशन कटौती की दिनांक पेंशन/पेंशन संशोधन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने के आदेश देने का अनुरोध किया है।

अतः उक्त पैरा के संबंध में समस्त कोषाधिकारियों के द्वारा संपादन कार्य की एकरूपता रखने के लिये कोषाधिकारी, पेंशन जयपुर के पत्र कमांक 16858 दिनांक 11.02.19 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। कृपया उक्त पत्र की भांति पेंशन/पेंशन संशोधन प्रकरणों में पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार–दो

भवदीय

(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

प्रतिलिपिः– सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सीपीपीसी चौडा रास्ता, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

निदेशक